<u>महत्वपूर्ण/समयबद्ध/फैक्स</u>

<u>संख्या- 62/2015/ 706/एक-6-2015-142(61)/11</u>

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 03 अगस्त, 2015**

विषय: शास्त्रीपुरम योजनान्तर्गत ग्राम सुनारी के खसरा संख्या-90 रकबा-0.5339 हे0 की भूमि को आगरा विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-आर0जी-62/जी-11-44-रा0 आ0/2014, दिनांक 18-06-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र में वर्णित मा0 उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या-1132/2011/एस0एल0पी0 संख्या-3109/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28-01-2011 की प्रति नहीं उपलब्ध करायी गयी है, जिसके कारण पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उक्त के अतिरिक्त यह भी नहीं स्पष्ट किया गया है कि उक्त आदेश क्या राजकीय आस्थान की भूमि पर प्रभावी होगा, जबकि जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय आस्थान की भूमि में दर्ज नाले का अस्तित्व नहीं है। विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर एवं जल निकासी हेतु नाले-नाली का निर्माण कार्य कराया जा चुका है।

3- अतएव मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-01-2015 की प्रति उपलब्ध कराते हुये यह भी स्पष्ट करने का कष्ट करें कि उक्त आदेश राजकीय आस्थान की भूमि पर प्रभावी है। कृपया उक्त बिन्दुओ पर सुस्पष्ट सूचना शासन को विलम्बतम तीन दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in